न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।

आदेश

वाद सं0 एम0 02/2016

धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत।

प्रथम पक्ष– अनपूर्णा देव पति श्री मनबोध साहु ग्राम– कामडार

बनाम

द्वितीय पक्ष– बिरजु राम पिता स्व0 बंधन राम ग्राम कामडारा।

वाद की कार्यवाही आवेदक श्रीमति अन्नपूर्ण देवी पति श्री मनबोद ग्राम+पो+थाना – कामडारा के द्वारा न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया में अपने अधिवक्ता के माध्य आवेदन दाखिल कि जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय पक्ष बिरजु राम पिता स्व0 बंधन ग्राम+पो+थाना– कामडारा के द्वारा आवदेक की खरीदगी भूमि पट्टा सं0 841/2000 खाता सं0 43, प्लॉ 2854 रकबा 0.10 डी0 तथा दूसरा पट्टा सं0 1188/2003 का खाता सं0 43 प्लॉट सं 2854, रकबा 0.3 डी रकबा 013 डिसमिल को बिना हक सरोकार का प्रथम पक्ष के उक्त 013 डी0 जमीन के घेरा के बाहर ईट गिरा दिया है तथा जबरन मेरे खरीदगी भुमि के घेरा के अन्दर मकान बनाने का प्रयास किया जा इसकी विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय प विवादित भूमि थाना सं0 59 खाता सं0 43 प्लॉट सं02854 रकबा 0.03 डी0 पर 60 दिनों के लिए उ प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही अधिकारी, कामडारा से विवादित भूमि के संबंध में जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्राचार किया जो रि है।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न है।

प्रथम पक्ष के प्राधिकृत अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि प्र अन्नपूर्ण देवी पति श्री मनबोध साहु ग्राम+पो0+थाना – कामडारा के द्वारा पट्टा सं0 841/2000 03/04/2000 को खाता सं0 49 प्लॉट नं0 2854 रकबा 10 डी0 तथा दूसरा पट्टा संख्या 1188/2 खाता नं0 43, प्लॉट नं0 2854 रकबा 0.03 डी0 जमीन को (1) परशुराम सिंह (2) कार्तिक सिंह (3 कुमार सिंह (4) पारसनाथ सिंह सभी पिता स्व0 घेसरा सिंह ग्राम+पो0+थाना – कामडारा जिला गुमला रकबा 0.13 डी0 अपने नाम से दाखिल खारिज अंचल कार्यालय, कामडारा से करवाई है एव साल व सा नाम से रसीद कटवाते आ रही है एवं उक्त खरीदगी भूमि को बास व झाडी से घेरकर मकान बनाया तथा पेड़ पौधा लगा हुआ है। जिसपर द्वितीय पक्ष के बिरजु राम बिना हक सरोकार का घेरा के बाह मिट्टी गिरा दिया है तथा जबरन घेरा के अन्दर मकान बनाने के लिए नीव खोदेगे कहता है जिस व्यवस्था खराब होने की प्रबल संभावना है।

प्रथम पक्ष अन्नपूर्णा देवी के द्वारा श्रीमति [illegible] कार्तिक सिंह से प्रथम डीड सं0 87 दिनांक 10/04/2013 को 0.20 डिसमील जमीन खरीदी है।

अनुमण्डल दण्डाधि

Scanned by CamScanner

तृतीय डीड सं0 841/2000 दिनांक 03/04/2000 को 0.10 डी0 भूमि कार्तिक सिंह/श्रवण सिंह/पारसनाथ सिंह/परशुराम सिंह से संयुक्त रूप से खरीदगी है।

तृतीय डीड सं0 1188/2003 दिनांक 19/05/2003 को 0.3 डी0 भूमि परसुराम सिंह से खरीदगी है।

प्रथम पक्ष द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया है।

(1) पट्टा सं0 841 का कागजात एवं रसीद।

(2) उक्त सभी पट्टा।

द्वितीय पक्ष के प्रधिकृत अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष लिखित रूप से दाखिल किये है कि मौजा कामडारा थाना नं0 59 खाता सं0 43 प्लॉट नं0 2854 रकबा 0.48 एकड. जमीन घेसरा सिंह बल्द बशन सिंह कायमी के नाम से खतियान में दर्ज है।

खतियानी रैयत की मृत्यु के उपरान्त खाता सं0 43 के खतियानी के उतराधिकारीगण आपस में सभी जमीन का बटवारा कर लिए प्लॉट 2854 रकबा 0.78 एकड़ जमीन कार्तिक सिंह एवं परशुराम सिंह के हिस्से में बराबर बटवारा हो गया। खाता सं0 43 प्लॉट 2854 रकबा 0.13 डी0 जमीन अन्नपूर्ण देवी रजिस्ट्री पट्टा द्वारा खरीदगी है एवं 0.13 डी0 का अधिकारी है। द्वितीय पक्ष विरजु राम के सदस्य 0.05 डी0 भूमि खतियानी रैयत के पुत्र परशुराम सिंह के पुत्र प्रदीप कुमार सिंह से रजिस्ट्री दिनांक 24/01/2014 से प्राप्त कर दखलकार चले आ रहे है।

प्रथम पक्ष अन्नूर्ण देवी के खरीदगी भूमि 0.13 डी के सटे द्वितीय पक्ष बिरजू राम क खरीदगी जमीन है जिसपर द्वितीय पक्ष शांतिपूर्ण दखलकार है एवं घर बनाने हेतु नीव खोद रहा है। जिसप बिना हक व अधिकार का प्रथम पक्ष के द्वारा शांति भंग किया जा रहा है। प्रथम पक्ष के विरुद्ध स्थिर करते हु द्वितीय पक्ष के हित में विलुप्त का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष बिरजू राम के द्वारा दिनांक 24/01/2014 को 0.05 डी0 भूमि प्रदीप कुमार सिंह पिता स परशुराम सिंह से खरीदगी किये है।

द्वितीय पक्ष द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया है।

(1) उक्त भूमि का पट्टा।

(2) रसीद एवं खतियान।

(3) उक्त भूमि का रजिस्ट्री।

प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के पुत्रों से सबंधी आपसी बटवारा नामा जा 31/12/1974 को सादे कागज पर किया गया है। जो कि कानुनी प्रकिया हेतु वैध कागजात नहीं है।

अंचल अधिकारी, कामडारा का जॉच प्रतिवेदनः—

अंचल अधिकारी, कामडारा के पत्रांक 74 दिनांक 17/02/2016 का अवलोकन गया। प्रतिवेदानुसार प्रथम दृष्टव्य अन्नपूर्णा देवी एवं सन्तोष साहु अपनी खरीदगी जमीन से अधिक जमी कब्जा चाह रहे है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

अनुमण्डल दण्डाधिक

Scanned by CamScanner

उक्त भुमि के खतियानी रैयत घोसरा सिंह खाता सं0 43 प्लॉट 2854 कुल रकबा 0.78 डी0 है उनके कार्तिक सिंह, श्रवण सिंह, पारसनाथ सिंह और परशुराम सिंह द्वारा आपसी बराबर बटवारे के उपरान्त ब्रिकी की गई है। प्रथम पक्ष को इस संबंध में खतियानी रैयत के चारो पत्रों द्वारा सादे कागजात बंटवारे से संबंधित कागजात उपलब्ध काराय गया है।

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल जबाब प्रस्तुत कागजात, बहस एवं अंचल अधिकारी के द्वारा उक्त विवादित भूमि का जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन एवं तथ्यों पर विचारोपरांत यह स्पष्ट बरजू राम खतियानी रैयत के बंशज परशुराम सिंह के हिस्स की जमीन को खरीद कर दखलका अन्नपूर्णा देवी स्व0 कार्तिक सिंह के हिस्से में प्राप्त भूमि से अधिक भूमि इनसे खरीदकर दखल का है इस प्रकार अन्नपूर्णा देवी पति मनबोध साहू अपनी खरीदगी जमीन से अधिक विवादित भूमि मौ के खाता सं0 43 प्लॉट सं 2854, रकबा 0.63 डी0 पर कब्जा चाह रही है।

उक्त स्थिति में द्वितीय पक्ष के हित में आदेश पारित किया जाता है । अपनी खरीदगी भूमि जिसपर प्रथम पक्ष दावा कर रहे है दखलकार रहेंगे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)
बसिया।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

अनुमण्डल दण्ड
अनुमण्डल दण्ड
बसिया (गु
बसिया।

Scanned by CamScanner